an>

Title: Regarding revision of subsidy to consumers holding Ration Cards.

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): महोदया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फरवरी, 2000 में लागू किया गया। मेरा कहना है कि शायद चुनाव सिर पर होने की वजह से इस एक्ट को जल्दबाजी में पारित किया गया। इसका नतीजा यह हुआ है कि मेरे क्षेत्र कोल्हापुर में तीन दिन पहले पचास हजार से ज्यादा महिलाओं ने कलेक्टर आफिस के पास मोर्चा निकाला था। यह एक्ट लागू होने के बाद एपीएल कार्ड होल्डर, जो महाराष्ट्र में तकरीबन 13 लाख से ज्यादा लोग हैं, उन्हें राशन मिलना बंद हो गया है। जो एक्ट लागू हुआ है, इसका अनुमान लगाया गया था कि जो कुटुम्ब की जनसंख्या थी, वह वर्ष 2010 की जनसंख्या पर आधारित है, मेरा खयाल है कि वर्ष 2015 का आधार लेना चाहिए और इस हिसाब से इन लोगों को अनाज मिलना चाहिए। प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज दिया जाता है। यूपीए सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि प्रति व्यक्ति बारह किलो अनाज दिया जाएगा, लेकिन आज पांच किलो दिया जा रहा है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। इस एक्ट को केंद्र सरकार ने बनाया, लेकिन इसका इम्प्लिमेंटेशन राज्य सरकार करती है, लेकिन अनाज देते समय दुकानदार, जो देश में तकरीबन दस लाख से ज्यादा हैं, उनको ध्यान नहीं रखा गया है।

इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि जैसे तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में एक फैडरेशन बनाया गया है, आज उन लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। उन्हें लाभ मिलना चाहिए, जैसे कि कोई जॉब गारंटी होनी चाहिए, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा देना चाहिए। शांता कुमार कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसका ये सब लोग विरोध करते हैं। जो दुकानदार आज गेहूं और चावल बेचते हैं, उन्हें अन्य कोई जीवन आवश्यक वस्तु जैसे शुगर, रेलवे टिकट व पोस्टल टिकट हैं, ऐसी कोई चीजें बेचने का वहां पर कोई प्रोविजन होना चाहिए जिससे उनकी इंकम में बढ़ोतरी हो। यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है।